कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 1852 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 15 जनवरी, 2025।

सेवा में,
उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुड़ौली से दौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.1925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/33229/2018)

संदर्भः–भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/07/2023/एफ.सी./1091 दिनांक 21–11–2023 व वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊॅ, वृत्त का पत्रांक 1497/13सी दिनांक 16.12.2024।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 1497/12–1(2) दिनांक 16.12.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:–

क्र. स.	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	<u>प्रतिपूरक वनीकरणः–</u> **(क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.385 सिविल सोयम भूमि ग्राम दौला में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। **(ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए. 1980 की Guideline के Para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वनविभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय	(क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.385 सिविल सोयम भूमि ग्राम दौला में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुए मिश्रित वृक्षारोपण किया जाएगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया हैं (छाया प्रति संलग्न)। उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **(सलंग्नक–1)**

	वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। **(ग)** प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस.एम.सी. कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीममेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(ग) प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस.एम.सी. कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीममेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्य अनुमति जारी करने से पहले आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। छाया प्रति संलग्न है। **(सलंग्नक–2)**
5	**<u>शुद्ध वर्तमान मूल्यः–</u>** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 –एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.1925 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विषेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। **(सलंग्न 2 के अनुसार)** प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(सलंग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव मे अनुसार 47 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविध नहीं की जायेगी।	
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्रित /जमा किए जाएगें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के लिए लेआउट प्लान को नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथव वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा, जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हों।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

	अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने कार्य किया जायेगा मलवें को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं सवंर्धन) अधिनियम–1980, यथासंशाधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1852 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1497 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 16/12/ 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ में कठपतिया – गुडौली से दौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.1925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 33229 / 2018।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 8 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 07 / 2023 / एफ0सी0 / 1091 दिनांक 16.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 2538 / 12–1 दिनांक 27.11.2024 द्वारा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण एवं भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजीका सं0 2522
पत्रावली 12-1
दिनांक 28-12-24

प्रभारी पिथौरागढ़
आ0का0के0 ( )

उ0व0सं0/नो0
24-12-24

09 DEC 2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 2538 / 12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 27, नवम्बर, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुडौली से दौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.1925 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/33229/2018)

संदर्भः– आपका पत्रांक 998 / 12–1(2) दिनांक 18.10.2024 व इस कार्यालय का पत्रांक1579 / 12–1 दिनांक 23.09.2024 ।।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र के कम में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र से पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या के बिन्दु सं0 3(ख) के कम में प्रेषित प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है, जिसे मूल आख्या के साथ 04 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– / 12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संलग्नक-1

(2)

कार्यालय अधिशासी अभि० 543 ... 15/04/24

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/07/2023/एफ.सी./1091 दिनांक 21.11.2023 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुडौली से दौला मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 1.1925 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.385 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुडौली से दौला मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 1.1925 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दोला पट्टी गोबर्सा तहसील कनालीछीना के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–05 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 1943 मध्ये रकवा 2.385 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, कनालीछीना स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मार्च, 23, 2024

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1134 /सात– 14 /2023–24

दिनांक मार्च, 23, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
4. तहसीलदार कनालीछीना को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अस्कोट पिथौरागढ़।

AE-II | JE(T)

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— *जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया—गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।* (लम्बाई 3.50 किमी0)

प्रमाणित किया जाता हैं, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया—गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 1.1925 हे0 वन वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट पिथौरागढ़ को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दौला पट्टी गोवर्सा तहसील कनालीछीना जिला —पिथौरागढ़ के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0—5 श्रेणी—9 (3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत सं0 1943 मध्ये रकवा 2.385 हे0, सिविल भूमि प्राप्त हुई है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1134/सात—14/2023—24 दिनांक 23.03.2024 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14—2—97—800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वनक्षेत्राधिकारी
डीडीहाट।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E:\Amin\Certificate sanrakshit van.doc

खतौनी नकल

ग्राम - दौला पट्टी - गोरखसों तहसील - [illegible] जिला - पिथौरागढ़

गैर जमींदारी विनाश खतौनी
श्रेणी - 9(3) 3 बंजर काबिल श्रेणी

खाता खतौनी सं.	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा सं.	क्षेत्रफल (है० में)	विवरण
5.	उत्तराखण्ड सरकार	1374	02	2.395	
	(बंजर काबिल आबाद)		04	6.351	जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आदेश पत्रांक संख्या -1134) साल-14/ 2023-24 दिनांक मार्च 23, 2024 के अनुसार ग्राम- दौला - पट्टी- गोरखसों तहसील- कनालीछीना के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं. 05 श्रेणी 9(3) बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 1943 मध्ये रकबा 2.385 हेक्टेयर [illegible] के नाम हस्तान्तरित / स्थानान्तरित की जाती है। [illegible] 16/4/[illegible] रा. उ. नि. गोरखसों
			05	0.454	
			07	0.156	
			1928	0.010	
			1929	0.025	
			1930	0.049	
			1941	0.019	
			1942	0.090	
			~~1943~~	~~2.280~~	
			1959	0.170	
			1961	0.074	
			04/2430	0.204	
			05/2432	0.115	
		योग	129	75.987	

महोदय, उपरोक्त खतौनी तैयार की।

[illegible] 20/07

राजस्व उप नि० क्षेत्र गोरखसों
तहसील कनालीछीना

संलग्नक -2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 2777/12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 05 – दिसम्बर, 2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया–गुडौली से दौला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.1925 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ROAD/33229/2018**)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी. पी./06/07/2023/एफ.सी./1091 दिनांक 21.11.2023।

उपरोक्त संदर्भित उत्तराखण्ड शासन के आदेश पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 व 05 के क्रम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य कुल धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.1925 हे0	1372410/– (ईको क्लास–VI) घनत्व 0.4	1636598.925 या 1636599.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण	2.385 हे0	4,48,791/–	1070366.535 या 1070367.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कठपतिया टुडोली दौला

1/18/24, 4:02 PM

UTR: SBINR52024012170294318Z

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-01-2024

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6133229017
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/07/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	2706966/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Six Thousand Nine Hundred and Sixty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896133229017 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

संलग्नक – 3

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ मे कठपतिया–गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.50 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0 / –
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 विभाग

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

शिवराज सिंह बिष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
कनालीछीना, पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र

तहसीलदार
कनालीछीना (पिथौरागढ़)

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया—गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 3.50 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद पिथौरागढ़ में कठपतिया—गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 3.50 किमी0) हेतु चयनित सी0ए0 क्षेत्र ग्राम दौला पट्टी गोवर्सा तहसील कनालीछीना जि ला—पिथौरागढ़ (2.385 हे0) में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

वनक्षेत्राधिकारी
डीडीहाट।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E:\Amin\Certificate sanrakshit van.doc